27/2/26

पत्रावली पालना रिपोर्ट पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पट्टा जारी निरस्त किया जाता है। विस्तृत रिपोर्ट शामिल किया गया। किसी पार्टी को नंबर से कम दो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS 2015/00211

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 238/2015 GCMS:- 2015/00211 दायर दिनांक : 11.09.2015

कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 18, कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर —वादी

बनाम

1. पुष्पादेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी ब्रजमोहन जाति जाट निवासी चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चहल चौक के पास, श्रीगंगानगर
3. सरस्वतीदेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी बलराम (फौत)
   - 3/1. राजेन्द्र कुमार } पि. बलराम जाति जाट निवासीयान इन्द्रपुरा
   - 3/2. देवेन्द्र कुमार } तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. मनोहरलाल पुत्र सुरजाराम (फौत)
   - 4/1. शकुन्तलादेवी पत्नी स्व. मनोहरलाल जाति जाट निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
   - 4/2. अंकुर पुत्र स्व. मनोहरलाल जाति जाट निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री बाबू लाल चाण्डक, अभिभाषक वादी
2. श्री संजय चाण्डक, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1 व 4/2
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : २७/२.2026

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। [illegible] के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, [illegible] के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 के पिता

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सुरजाराम पुत्र शिवलाल को सक्षम अधिकारी द्वारा भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत तत्कालीन आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ के द्वारा दिनांक 11.06.1966 को रोही पीपासर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 175 में 25.00 बीघा व खसरा नं. 176 में 50.00 बीघा, कुल 75.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया, जो आरम्भ में गैर खातेदारी दस साला आवंटन था। आवंटन का अंकन जमाबन्दी में हो चुका था। इसके बाद इस भूमि के बदले ग्राम देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 80 में 27.01 बीघा व खसरा नं. 82 में 47.19 बीघा, कुल 75.00 बीघा का गैर खातेदारी आरजी काश्त पर आवंटन सुरजाराम को किया गया, जो जीवनपर्यन्त सुरजाराम व उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान के कब्जा काश्त में है। उक्त रकबा खसरा परिवर्तित होकर रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 में खसरा नं. 391 में 6.071 है0, खसरा नं. 59 में 2.074 है0, खसरा नं. 237 में 1.846 है0, खसरा नं. 346 में 0.759 है0, खसरा नं. 241 में 2.783 है0, खसरा नं. 331 में 2.401 है0 व खसरा नं. 332 में 4.172 है0 रकबा सुरजाराम के नाम बतौर गैर खातेदार अंकित था, किन्तु इसके बाद बनी जमाबन्दी में बतौर आरजी काश्तकार उक्त भूमि सुरजाराम के नाम दर्ज ना कर, बिना सक्षम अधिकारी के आदेश रकबाराज अंकित कर दी गई जो कि कानून विपरीत है। मौका पर कब्जा होते हुए जैरवाद रकबा बिना सक्षम अधिकारी आदेश के रकबाराज दर्ज किया जाना कतई कानून सम्मत नहीं है। सुरजाराम की मृत्यु दिनांक 19.12.1994 को हो चुकी है व उनकी पत्नी की भी दिनांक 03.03.1997 को मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उनके वारिसों का बतौर आरजी काश्तकार गैर खातेदार प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त है। अतः वादी ने सुरजाराम को आवंटित भूमि का सुरजाराम के माध्यम से वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 को आरजी काश्तकार (गैर खातेदार) घोषित कर, घोषणा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब कर उनके जवाब पत्रावली में संलग्न किये गये। जवाब प्रतिवादीगण के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(1) आया वादी के पिता सुरजाराम पुत्र शिवलाल को राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा तहसील राजस्व सूरतगढ़ दिनांक 11.06.1966 को ग्राम पीपासर की रोही में खसरा नं. 175 में 25.00 बीघा व खसरा नं. 176 में 50.00 बीघा, कुल 75.00 बीघा रकबा गैर खातेदारी आवंटित रकबा था ? (वादी)

(2) आया आवंटन के पश्चात् उक्त रकबा जमाबन्दी ग्राम पीपासर सम्वत् 2020–2024 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता सुरजाराम पुत्र शिवलाल के नाम से खसरा नं. 175 में 25.00 बीघा व खसरा नं. 176 में 50.00 बीघा, कुल 75.00 बीघा दर्ज हो चुका था ? (वादी)

(3) आया वादी के पिता को ग्राम पीपासर की रोही में आवंटित उक्त गैर खातेदारी रकबा के बदले में ग्राम देईदासपुरा की रोही के खसरा नं. 80 में 27.01 बीघा व खसरा नं. 82 में 47.19 बीघा, कुल 75.00 बीघा रकबा विधिवत स्वीकार किया गया रकबा है ? (वादी)

(4) आया ग्राम देईदासपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 में खसरा नं. 391 में 6.071 है0, खसरा नं. 59 में 2.074 है0, खसरा नं. 237 में 1.846 है0, खसरा नं. 346 में 0.759 है0, खसरा नं. 241 में 2.783 है0, खसरा नं. 331 में 2.401 है0 व खसरा नं. 332 में 4.172 है0 रकबा सुरजाराम पुत्र शिवलाल जाति जाट के नाम से बतौर गैर खातेदारी अंकित हुआ था ? (वादी)

(5) आया बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादी के पिता के काबिज रकबे को उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान के नाम अंकन नहीं किया है, जो स्पष्टतः एक कानूनी भूल नहीं हुई है ? (प्रतिवादी)

(6) आया वादी उक्त 75.00 बीघा रकबा पिता की मृत्यु के पश्चात् तमाम वारिसान के नाम ब.हि.ब. राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की घोषणा स्वीकार कराने का हकदार है ? (वादी)

(7) अनुतोष।

बाद कायमी तनकीहात साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। वादी की ओर से वादी स्वयं ने शपथ–पत्र पर बयान दिये। प्रतिवादीगण की ओर से पुष्पादेवी पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सुरजाराम, हेतराम पुत्र सुरजाराम, राजेन्द्र कुमार पुत्र बलराम, देवेन्द्र कुमार पुत्र बलराम, शकुन्तला पत्नी मनोहरलाल, अंकुर उर्फ आदित्य पुत्र मनोहरलाल ने वाद की पुष्टि में ही शपथ–पत्र प्रस्तुत किये। इसी मध्य वाद में अनुतोष संशोधन चाहा गया कि वाद में रोही देईदासपुरा के खसरा नं. 130 मिन 1 की 5.056 है0 का अनुतोष चाहा है जो आबादी हेतु आरक्षित हो गया, इसलिए इसके स्थान पर खसरा नं. 59 की 2.074 है0, खसरा नं. 237 की 1.846 है0, खसरा नं. 346 की 0.759 है0 का अनुतोष दर्ज किया जावे। इसे स्वीकार कर संशोधित वाद–पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

बाद प्राप्त होने साक्ष्य तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाया व मुख्य रूप से मूल आवंटन की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसमें 11.06.66 को राजियासर स्टेशन पर ग्राम पीपासर के खसरा नं. 175 में 25.00 बीघा व खसरा नं. 176 में 50.00 बीघा, कुल 75.00 बीघा बारानी का आवंटन सुरजाराम पुत्र शिवलाल जाट को किया गया है। इसके बाद की जमाबन्दियों जो ग्राम देईदासपुरा के खसरा नं. 130 मिन 1 में 5.056 है0, खसरा नं. 241 में 2.783 है0, खसरा नं. 331 में 2.401 है0 व खसरा नं. 332 में 4.172 है0, कुल 14.412 है0 बारानी दोयम का सुरज़ाराम वल्द शिवलाल जाति जाट सा. देह को गैर खातेदार बताया गया है। वर्तमान में यह भूमि रोही देईदासपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 में खसरा परिवर्तित होकर खसरा नं. 130 में 5.060 है0, खसरा नं. 241 में 2.783 है0, खसरा नं. 331 में 2.401 है0, खसरा नं. 332 में 4.172 है0 व खसरा नं. 346 में 0.759 है0 में परिवर्तित होना बताते हुए व कब्जा काश्त के आधार पर उक्त भूमि के गैर खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादीगण को हिस्सा अनुसार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का अनुतोष चाहा। साक्ष्य से वाद पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताया। इसी अनुसार प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 ने वाद स्वीकृति चाही।

राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वाद में निर्णय किये जाने की प्रार्थना करते हुए साथ ही तर्क दिया कि वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, इसलिए वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से हैं :–

तनकी नं. (1) – आया वादी के पिता सुरजाराम पुत्र शिवलाल को राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1957 के अन्तर्गत अनाधिवासित कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा तहसील राजस्व सूरतगढ़ दिनांक 11.06.1966 को ग्राम पीपासर की रोही में खसरा नं. 175 में 25.00 बीघा व खसरा नं. 176 में 50.00 बीघा, कुल 75.00 बीघा रकबा गैर खातेदारी आवंटित रकबा था ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा इस तनकी को सिद्ध करने के लिए मात्र आवंटन की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। फोटो प्रति साक्ष्य में मान्य नहीं। प्रदर्श भी नहीं लगवाये गये, इसलिए पढ़े जाने योग्य नहीं है। फिर भी न्याय हित में इसका अवलोकन करने पर यह माना जा सकता है कि वादी के पिता सुरजाराम को रोही पीपासर के खसरा नं. 175 में 25.00 बीघा व खसरा नं. 176 में 50.00 बीघा, कुल 75.00 बीघा रकबा का आवंटन हुआ है। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 24 ग्राम पीपासर खाता सं. 301 प्रस्तुत है। इसमें उक्त खसराजात में 75.00 बीघा का आरजी काश्तकार सुरजाराम अंकित है। इस आधार पर तनकी नं. 1 बहक वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया आवंटन के पश्चात् उक्त रकबा जमाबन्दी ग्राम पीपासर सम्वत् 2020–2024 के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता सुरजाराम पुत्र शिवलाल के नाम से खसरा नं. 175 में 25.00 बीघा व खसरा नं. 176 में 50.00 बीघा, कुल 75.00 बीघा दर्ज हो चुका था ?

(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। इसका विवरण तनकी नं. 1 में आ चुका है। इसी अनुसार तनकी नं. 2 बहक वादी निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. (3) – आया [illegible] पीपासर की रोही में आवंटित उक्त गैर खातेदारी रकबा के [illegible] की रोही के खसरा नं. 80 में 27.01 बीघा व खसरा नं. 82 में [illegible].19 बीघा, कुल 75.00 बीघा रकबा विधिवत स्वीकार किया गया रकबा है ?

(वादी)

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए स्वयं का शपथ–पत्र व ग्राम देईदासपुरा की जमाबन्दी एवं नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। ग्राम देईदासपुरा के खाता सं. 1 में खसरा नं. 130 मिन 1, 241, 331 व 332 में कुल 14.412 है0 बारानी दोयम का वादी के पिता सुरजाराम वल्द शिवलाल जाति जाट सा. देह को गैर खातेदार बताया गया है और नामान्तरकरण सं. 137 के अनुसार खसरा नं. 80 में 27.01 बीघा व खसरा नं. 82 में 47.19 बीघा, कुल 75.00 बीघा रकबा सुरजाराम पुत्र शिवलाल जाति जाट के नाम गैर खातेदार आवंटन दर्ज है। यह भूमि उसे ग्राम पीपासर की भूमि के तबादला में मिली है, कहीं भी अंकित नहीं है। जमाबन्दी में वर्ष अंकित नहीं है। यह भूमि लगातार आरजीकाश्त में सुरजाराम के नाम अंकित रही व इसकी रकम राज आवंटिती द्वारा जमा करवाई गई हो, किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं है। तनकी नं. 3 की पुष्टि में जमाबन्दी जो वर्ष 2058 से 61 प्रस्तुत हुई व मात्र फोटो प्रति है, उसमें भी खसरा नं. 391 में 6.071 है0 बारानी भूमि गैर खातेदार का अंकन हुआ है। 2058 से 61 से पूर्व यह भूमि आराजीराज दर्ज थी, यह भूमि 2061 के बाद नवीनीकृत हुई या नहीं, स्पष्ट नहीं है। रकम राज जमा हुई अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं है। पूर्ण रूप से कब्जा काश्त में रही या नहीं, समस्त प्रश्न अनुतरित हैं। सन्देह से परे वादी इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहा है, इसलिए तनकी नं. 3 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (4) – आया ग्राम देईदासपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 में खसरा नं. 391 में 6.071 है0, खसरा नं. 59 में 2.074 है0, खसरा नं. 237 में 1.846 है0, खसरा नं. 346 में 0.759 है0, खसरा नं. 241 में 2.783 है0, खसरा नं. 331 में 2.401 है0 व खसरा नं. 332 में 4.172 है0 रकबा सुरजाराम पुत्र शिवलाल जाति जाट के नाम से बतौर गैर खातेदारी अंकित हुआ था ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी ने जमाबन्दी ग्राम देईदासपुरा के खाता सं. 1, सम्व[illegible] की सत्य प्रति प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 130 मिन 1, 241, 331 व 332 में कुल 14.412 है0 बारानी दोयम का गैर खातेदार वादी के पिता सुरजाराम वल्द शिवलाल जाति जाट सा. देह अंकित है, किन्तु पूर्व खसरों का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 7 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सिद्ध हो कि पूर्व अंकित खसरा नं. 80 की 27.01 बीघा व खसरा नं. 82 की 47.19 बीघा भूमि इन खसराजात में फिट हुई है। इसी आधार पर तनकी नं. 4 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (5) – आया बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादी के पिता के काबिज रकबे को उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान के नाम अंकन नहीं किया है, जो स्पष्टतः एक कानूनी भूल नहीं हुई है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा यद्यपि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये, किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सही होने का तथ्य उसकी सत्यता दर्शाता है। वादी द्वारा भी प्रश्नगत भूमि की रकम राज उस द्वारा जमा करवाई जा रही है, का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है और न ही खसरा परिवर्तन के साक्ष्य प्रस्तुत हैं, इसलिए तनकी नं. 5 साक्ष्य से प्रश्नगत रकबा राज होने से बहक प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (6) – आया वादी उक्त 75.00 बीघा रकबा पिता की मृत्यु के पश्चात् तमाम वारिसान के नाम ब.हि.ब. राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की घोषणा स्वीकार कराने का हकदार है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। अविवादित साक्ष्य से वादी ने इस तनकी को सिद्ध नहीं किया। राज्य पक्ष की ओर से भी वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं बताया जा रहा है। इस आधार पर तनकी नं. 6 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1, 2 बहक वादी निर्णय की जा चुकी है, किन्तु मुख्य तनकी नं. 4, 5 व 6 विरुद्ध वादी निर्णय होने से वादी के पिता सुरजाराम को वादग्रस्त भूमि का निरन्तर आरजी काश्तकार सन्देह से परे सिद्ध ना होने से वाद वादी निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 27.02.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

कृष्ण कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 18, कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर **–वादी**

बनाम

1. **पुष्पादेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी ब्रजमोहन जाति जाट निवासी चक 36 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर**
2. **हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चहल चौक के पास, श्रीगंगानगर**
3. **सरस्वतीदेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी बलराम (फौत)**
   - **3/1. राजेन्द्र कुमार**
   - **3/2. देवेन्द्र कुमार** } **पि. बलराम जाति जाट निवासीयान इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़**
4. **मनोहरलाल पुत्र सुरजाराम (फौत)**
   - **4/1. शकुन्तलादेवी पत्नी स्व. मनोहरलाल जाति जाट निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर**
   - **4/2. अंकुर पुत्र स्व. मनोहरलाल जाति जाट निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर**
5. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 238 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री बाबू लाल चाण्डक व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1 व 4/2 श्री संजय चाण्डक एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी निरस्त किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×.......... बाबत ....×........... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27.02.26 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़